राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2916/2025

पवन कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.07.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :–विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पांचू बीकानेर में कार्यरत हैं। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 05.03.2025 के द्वारा निलम्बित किया गया था तथा अपीलार्थी का मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पांचू बीकानेर किया गया था, जिस पर अपीलार्थी को दिनांक 06.03.2025 को कार्यमुक्त किया गया। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 1788/2025 प्रस्तुत की थी, जिसमें पारित निर्णय दिनांक 21.02.2025 में अपीलार्थी को निलम्बन से बहाली के आदेश पारित किये गये। आलोच्य आदेश दिनांक 21.05.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मैनसर नोखा, बीकानेर पदस्थापित किया गया है एवं उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 22.05.2025 को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जिस स्थान से निलम्बित किया गया है, उसी स्थान पर पदस्थापित रखे जाने के निर्देश दिये थे एवं यदि वह स्थान रिक्त नहीं हो तो नजदीकी विद्यालय/कार्यालय में पदस्थापित करने के निर्देश दिये थे। जबकि अपीलार्थी का पदस्थापन दूरस्थ किया गया है। अपीलार्थी ने अपने पदस्थापन के संबंध में दिनांक 23.05.2025 ाके प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया था, परंतु उक्त प्रतिवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष